

भारत सरकार
केन्द्रीय जल आयोग
मध्य गंगा मण्डल-प्रथम
जलतरंग भवन, प्रतापबाग, अलीगंज
लखनऊ-226024

पत्रांक: मु0-02 / मगंम-1 / के0ज0आ0 / लख0 / 2010 -11 / 610 - 17 दिनांक: 08- 02-2011

“भावदर आमन्त्रण सूचना”

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधोहस्ताक्षरी नीचे दियेगये विवरण के अनुसार “**ty iɔkg ekfi ; ka dh ejeEr dk dk ; l , oa fj j fVx**” हेतु मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान अपनी मुहरबन्द दरें दिनांक 18 - 02 - 2011 को 15-00 बजे (अपरान्ह) तक या पहले अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। कोटेशन उसी दिन 15-30 बजे (अपरान्ह) कोटेशनदाताओं या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जायेगी।

Sl.No.	Detail of Works	Qty.	Remarks
1.	a) Repairing of cup type current meters. b) Rerating if cup type current meters from IRI unit Bahadrabad Roorkee. c) Carriage charges from MGD-I, CWC,Lko. to IRI unit Bahadrabad Roorkee and after rerating of cup type current meters, back to MGD-I, CWC,Lko. Cup type current meter no. – 2160, 753, 2239, 2256, 314, 2166, 2260, 1625, 430, 433, 447, 1912, 54, 752, 524, 767, 763, 529, 10, 2144, 2149, 772, 2250, 2163, 1665,	25 nos.	

नियम एवं शर्तें :

- उपर्युक्त कार्यों का स्थल पर निरीक्षण कार्यदिवस में 10-00 बजे पूर्वान्ह से 17-00 बजे अपरान्ह तक किया जा सकता है।
- मुहर बंद लिफाफे पर कार्य का नाम एवं कोटेशन संख्या आदि लिखा होना चाहिए।
- दरों को शब्दों एवं संख्या दोनों में लिखा होना चाहिए।
- कर (Taxes) अन्य प्रभार यदि कोई हो तो उनका स्पष्ट विवरण कोटेशन में दर्शाया जाना चाहिए।
- सभी कटिंग्स एवं ओवर राइटिंग प्रतिष्ठान द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
- कोटेशन में दर्शायी गयी दरें 90 दिन तक मान्य होनी चाहिए। इस मुद्दे पर कोटेशनदाता की चुप्पी उसकी इस शर्त से सहमति मानी जायेगी।
- कार्य का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जायेगा। यदि कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो कार्य आदेश निरस्त या कार्य में कटौती करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।
- कार्य संतोषजनक रूप में पूर्ण होने के उपरान्त पूर्व पावती बीजक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक चौक शाखा लखनऊ के माध्यम से रेखांकित चेक/ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा।
- षर्तों के साथ भेजे गये कोटेशन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- कार्य की मात्रा घटाने या बढ़ाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।
- अधोहस्ताक्षरी के पास बिना कारण बताये किसी अथवा सभी कोटेशनों को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है।
- प्रतिष्ठान पंजीकृत एवं PAN नम्बर धारक होना चाहिए।

(राकेश वर्मा)
अधिषासी अभियन्ता

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

- लेखा अनुभाग, मध्य गंगा मण्डल-प्रथम, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ।
- सूचना पट्ट, मध्य गंगा मण्डल-प्रथम, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ।
- निदेशक,शाफ्टवेयर,मैनेजमेंट निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग,सेवाभवन,आर.के.पुरम,नईदिल्ली।
- मेसर्स.....